

(सार्वजनिक सूचना का प्रारूप)

राजगढ़ नीमच पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड,
जीआर वन, प्लॉट नं. 7B, सेक्टर 18, मारुति इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, गुरुग्राम,
हरियाणा, पिन-122015

सूचना

(विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (2) के अंतर्गत)

1. राजगढ़ नीमच पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय जीआर वन, प्लॉट नं. 7B, सेक्टर 18, मारुति इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, गुरुग्राम, हरियाणा, पिन-122015 में स्थित है और जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित है, ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष निम्नलिखित पारेषण लाइनों, सब-स्टेशनों तथा अन्य परिसंपत्तियों के संबंध में पारेषण लाइसेंस प्रदान किए जाने हेतु आवेदन किया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	लाइन/सब-स्टेशन का नाम (स्थान)	लाइन की लंबाई/क्षमता	अनुमानित पूर्णता लागत या स्तरीकृत पारेषण शुल्क	निर्धारित COD	टिप्पणियाँ
सब-स्टेशन					
1.	400/220 kV हंडिया (सब-स्टेशन) पर 220 kV बस सेक्शन-II का निर्माण	220 kV	₹35.18 करोड़	स्कीम के आवंटन की तारीख से 24 महीने	
ट्रांसमिशन लाइन					
2.	400/220 केवी हंडिया सब-स्टेशन (बस सेक्शन-II पर) 2 नग 220 केवी लाइन बे (हंडिया-बागली (नई) 220 केवी डीसी लाइन के समापन के लिए)	220 kV			

2. आयोग के समक्ष दायर किया गया पूर्ण आवेदन तथा अन्य दस्तावेज़ वेबसाइट <https://www.grinfra.com/> पर किसी भी व्यक्ति द्वारा अवलोकन हेतु उपलब्ध हैं। आवेदन का निरीक्षण कंपनी के कार्यालय, जीआर वन, प्लॉट नं. 7B, सेक्टर 18, मारुति इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, गुरुग्राम, हरियाणा, पिन-122015 में श्री अफाक पोथियावाला के पास अथवा आयोग के कार्यालय में आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार भी किया जा सकता है।

3. यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो उन्हें समाचार-पत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर सचिव, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, छठी, सातवीं एवं आठवीं मंजिल, टॉवर-B, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029 के समक्ष दाखिल किया जाए तथा आपत्ति/सुझाव की एक प्रति आवेदक अथवा उसके अधिकृत एजेंट को भी उपलब्ध कराई जाए।

स्थान: गुरुग्राम

दिनांक: 01.10.2026

अफाक पोथियावाला

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता